

आदेश पत्रक

वाद सं० - 1442/22-23 मु० सं०-7479


दिनांक -

1443/22-23 केस का प्रकार :- " " नं० 480

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28 ¹ / ₂₃	<p>आपत्तिकर्ता - रनवर आलम पिता स्व० इस्तेयाक अंसारी विक्रेता - रबुल आलम पिता स्व० मो० अलाउद्दीन मिर्जा, केरा अरवा खातून पति सैद अंसारी, नईम अंसारी पिता स्व० इसमाइल मिर्जा उपस्थित।</p> <p>आपत्तिकर्ता ने बताया की ग्राम - डीही में इसमाइल मिर्जा, कदुस मिर्जा, अलाउद्दीन मिर्जा वी आलमोहम्मद मिर्जा पिता गुलजार मिर्जा के नाम से खता सं० 20, लॉट सं०-861, रकबा 0.78 ए० भूमि दर्ज है जिसमे अलाउद्दीन मिर्जा (विक्रेता के पिता) का हिस्सा 0.19½ ए० बनता है परन्तु इन्होंने इनहोंने पूर्व में कैवाला सं० 417 दिनांक - 28/07/2014 द्वारा मेरे एवं मेरे भाईयो के नाम से C.S खता सं० 62 लॉट सं० 408, रकबा 0.21 ए० भूमि बिक्री किया है पुनः इन्होंने इनके पुत्र रबुल आलम ने R.S खता सं० 20, लॉट सं० 861, के अनुसार अरवा खातून को 0.05 ए०, नईम अंसारी को 0.04 ए० भूमि बिक्री कर दिया जो सरासर गलत है।</p> <p>विक्रेता ने कहा की मेरे पिता ने कैवाला नहीं किया है बसाध्य स्वरूप में आपत्तिकर्ता द्वारा कैवाला सं० 417 दिनांक 28/07/2014 समर्पित किया जिसे अभिलेखबद्ध किया जाता है।</p>	

P.T.O

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	3 कार्रवाई वा टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>संबंधित पत्रकारों को सुनने के पश्चात् एवं उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपतिकर्ता का आपत्ति नहीं है अतः खुल आलम द्वारा विक्री की गई भूमि से संबंधित नामांतरण वाद सं० 1442/22-23 एवं 1443/22-23 को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  28/11/23 जंयल अधिकारी, जालेहार </p>	3